



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

क्रमांक / एफ-49 / 90-क / जोन-01 / 2025 /

दिनांक :- Signed Date

प्रेषित :-

1. श्री तुलछाराम पुत्र श्री रणछोड़राम, जाति सरगरा एवं
2. श्री लूणाराम पुत्र श्री बाबूलाल, जाति मेघवाल
जरिये रजिस्टर्ड आम-मुख्यार श्री जबराराम चावडा पुत्र श्री हस्तीराम,
निवासी - ग्राम खीयासरिया, तहसील शेरगढ़, जोधपुर एवं
श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री जबराराम चावडा,
निवासी - राजीव नगर-ए सेक्टर, महामंदिर तीसरी पोल के बाहर, जोधपुर।

विषय :- निजी खातेदारी योजना ग्राम नान्दड़ा कलां के खसरा संख्या 186/3 (नवीन खसरा संख्या 186/5) में 12.50 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्डों को रहनमुक्त करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राधिकरण द्वारा आपकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 186/3 (नवीन खसरा संख्या 186/5), कुल रकबा 09-08 बीघा, ग्राम नान्दड़ा कलां का 90-क का आदेश दिनांक 07/10/2022 को जारी किया गया, जिसका ले-आउट प्लान प्राधिकरण की ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 06/12/2022 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उक्त कॉलोनी में आपके द्वारा 12.50 प्रतिशत भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में भूखण्ड संख्या 57 से 61, 67 से 69, 80 से 82, 87 व 88, कुल भूखण्ड 13 कुल क्षेत्रफल 1328.25 वर्गगज रहन रखे गये थे। प्राधिकरण स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा पर आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने पर रहनमुक्त किये जाते हैं।

उपायुक्त (जोन-01),
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Signature valid



Digitally signed by Mukesh Bareth
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.03.03 17:19:03 IST
Reason: Approved